

29 $\frac{7}{19}$

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय क्षमप में
कार-कार आवजें लगाईं, जहाँ परन्तु
बादीया भी ऊपर से उनके अधिकार
व कोई उपलब्ध नहीं हुए। लिहाज
प्रमाण ऊदम पैरवी। ऊदम हाजरी
में खारीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुगाह ले कर नाम्बल से
कम हो। निवेदन शुके न्यायालय
में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.जी.ओ.) मुम्बलगढ
जिला-राजसमन्